



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226320
CG-DL-E-01042021-226320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1328]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1328]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 1438(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपर्कहीन अपील योजना 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम संपर्कहीन अपील योजना (पहला संशोधन) 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. संपर्कहीन अपील योजना, 2020 में,

(i) पैरा (2) के उपपैरा (1) में खंड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

“(xviii) “राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र” से यथास्थिति अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, अभिप्रेत है।”

- (ii) “राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र”, पद के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, “राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र” पद रखा जायेगा।

[अधिसूचना सं. 26 /2021/फा. सं. 370142/33/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान प्रभाग)

टिप्पण: मुख्य स्कीम भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना सख्या का.आ. 3269 (अ), दिनांक 25 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे अब तक संशोधित नहीं किया गया है।